राजस्थान मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

अंक : प्रथम - संयुक्त विशेषांक   वर्ष : 2005-2006 वि.सं. : 2062-2063   बिक्री के लिये नहीं

राष्ट्रपति के प्रेस सचिव
Press Secretary
to the President

राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली-110004
President's Secretariat
Rashtrapati Bhawan
New Delhi-110004

MESSAGE

The President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, is happy to know that the Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur is bringing out a Quarterly Newsletter in April, 2006 highlighting its activities to create awareness about human rights.

The President extends his warm greetings and felicitations to all those associated with the Commission and wishes the Newsletter all success.

PRESS SECRETARY TO THE PRESIDENT

उप राष्ट्रपति, भारत
VICE PRESIDENT OF INDIA

MESSAGE

I am happy to know that a Quarterly Newsletter is being published by the Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur in April, 2005 for the benefit of the people.

The idea that protection and promotion of human rights for ensuring individual freedom and liberties to help people live with dignity has gained wide acknowledgment, ushering in human rights consciousness in our society. An effort such as this, to widen and deepen this consciousness is a step in the right direction of evolving a healthy humane society.

My best wishes.

(Bhairon Singh Shekhawat)

PRATIBHA PATIL
Governor, Rajasthan

Raj Bhawan
Jaipur-302 006

MESSAGE

I am happy to know that the Rajasthan State Human Rights Commission is going to publish a Quarterly News Letter and its first consolidated issue for the year 2005-2006 will come out in April, 2006.

Human Rights is an important issue in our society and it is a need of the hour to create awareness and respect towards human rights among people.

I hope that the Quarterly News Letter published by the commission would not only hightlight the activities and events regarding human rights but also provide adequate information about rules and regulations, legal provisions alongwith modusoperandi of Rajasthan Human Rights Commission.

I send my best wishes for Quarterly News Letter of Rajasthan Human Rights Commission.

(Pratibha Patil)

VASUNDHARA RAJE

Chief Minister
Rajasthan

MESSAGE

It gives me immense pleasure that the Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur is going to publish a Quarterly Newsletter.

I hope that this Newsletter will contain rules, procedures and activities of the Commission to create awareness among people regarding human rights.

I send my hearty wishes for the successful publication of the Newsletter.

(Vasundhara Raje)

Justice A.S. Anand
Chairperson
(Former Chief Justice of India)

MESSAGE

It is a matter of great happiness and satisfaction that the Rajasthan State Human Rights Commission is bringing out the first issue of the Quarterly Newsletter that is aimed at creating awareness about the rules procedures and activities of the Commission, on the one hand, and developing Human Rights culture, on the other.

The protection of Human Rights Act, 1993 mandates that all the states should constitute Human Rights Commission and that the Commissions undertake wide range of measures with a view to facilitating the upholding of the Human Rights of its citizens. Creation of Human Rights awareness and dishing out Human Rights literacy amongst the state functionaries and the ultimate consumers of Human Rights i.e. the Citizen is an integral part of the strategy towards Human Rights achievement. It is hoped that the proposed Quarterly Newsletter would prove a major step in the direction of aforesaid Human Rights goals.

As the Chairperson of the National Human Rights Commission, I am immensely pleased to see the growth of your Human Rights Commission in the right direction. I am sure you will take special care in maintaining the standards of punctuality and regularity for the proposed Quarterly Newsletter. I convey my best wishes for your venture of bringing out the Quarterly Newsletter.

(Justice A.S. Anand)

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR

A Note

The primary obligation to protect human rights of citizens lies in a Welfare State. This Commission supplements and facilitates the Government in all fields to discharge its duties and for better protection of human rights of every individual. By publishing this quarterly news letter people should know the rules, procedure, activities to create human rights awareness, so that State should consider the human rights of individual for which provisions in the Constitution has also been provided. Citizens should realize their duty towards the State and fellow-being and also behave in a responsive manner.

This Commission is publishing its first consolidated issue. I hope the Commission will get co-operation of all concerned. The endeavour of the Commission is to protect, promote and maintain the dignity and worth of human being and to achieve the object of the Act.

(Justice N.K. Jain)
Chairperson

MEET THE CHAIRPERSON

Hon'ble Mr. Justice Nagendra Kumar Jain

Chairperson

Rajasthan State Human Rights Commission

Born on 20.10.1942 at Alwar S/o Late Justice J.P. Jain, had primary education in Happy School, Alwar, secondary education in Mahaveer Digambar Jain School, Jaipur and college education in Maharajas College, Rajasthan College at Jaipur. Justice Jain did his LLB from Jodhpur University, Rajasthan. An accomplished sportsman during school and college days and recipent of best sportsman award from Rajasthan and Jodhpur Universities; Justice Jain had been State Badminton Champion and has represented the State in Inter University also in Nationals and Interstate Badminton Championships from 1955 to 1968.

Enrolled as an Advocate on 26.01.1968 he practiced in Civil, Criminal, Constitutional, Writ, Company and Tax Matters in the High Court of Rajasthan. He had also been a part-time Lecturer in Jodhpur University, Secretary of the Rajasthan High Court Bar Association and Rajasthan Bar Federation, Life Member, Bar Association of India and Member of Governing Council- 1984. He was member Bar Council of Rajasthan since 1971 and Chairman during 1985-86, Member, Bar Council of India and India (Trust) and a Member, National Law School of India University, Bangalore from 1987 till elevation. Justice Jain, a well traveled person, has visited U.S.A., Europe and Canada.

Justice Jain was appointed as Judge in the Rajasthan High Court on 20.07.1990. After elevation, he was nominated by the Hon'ble Chief Justice of India as a Member, Academic Council of National Law School of India University, Bangalore for 3 years (1993-1996). Subsequently he was transferred to Madras High Court on 19.12.1997. He was Chairman of Advisory Board under Criminal Law Amendment Act from 03.03.1998 to 07.01.1999, Presiding Officer of the Tribunal Under the Criminal Law Amendment Act from 08.01.1999, Executive Chairman of Tamilnadu State Legal Service Authority. Later on he was appointed as an Acting Chief Justice on 22.01.1999, thereafter remained as Acting Chief Justice twice till permanently appointed as Chief Justice of Madras High Court on 13.09.2000. He was also Patron-in-Chief of Tamilnadu State Legal Service Authority till transferred as Chief Justice of High Court of Karnataka on 31.08.2001.

Justice Jain was Member in 3rd Meeting of the Judicial Group on strengthening Judicial Integrity attended by Chief Justice Group attended by Chief Justice of different countries during January' 2003 at Colombo.

He had also been Chairman with two Chief Justice in the Committee constituted by Chief Justice of India to examine the recommendations of Arrears Committee Report 1989-1990 (Justice Malimath Committee Report) and First National Judicial Pay Commission (Justice K. Jagannath Shetty Commission) Report. Justice Jain on superannuation as Chief Justice of Karnataka, on 19 October, 2004, has also worked as Chairperson, Himachal Pardesh Human Rights Commission and Lokayukta till 15.07.2005, and now he is working as Chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission, Rajasthan from 16.07.2005.

The permanent residential address of
Mr. Justice N.K. Jain is R-3, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302 005
Tel. : 0141-2222519, Mobile : 94140-66665.

Meet the Member

Hon'ble Mr. Justice Jagat Singh

Member

Rajasthan State Human Rights Commission

Former Judge of Rajasthan High-Court, Joined as a Member of Rajasthan State Human Rights Commission, Rajasthan, Jaipur on 10.10.2005.

Born on 01.03.1941 at Katehra, tehsil- Fazilka, district-Firozpur (Punjab). Took his education partly in Punjab and partly in Rajasthan.

- Joined BAR at Fazilka.
- Joined Judicial Service on 1967.
- Promoted in RHJS in the year 1980.
- Remained District Judge for 19 years.
- Was Law-Secretary, Govt. of Rajasthan for 2 years.
- Was Member, Board of Revenue for 18 months.
- Elevated to the Bench on 01.03.2001.

Meet the Member

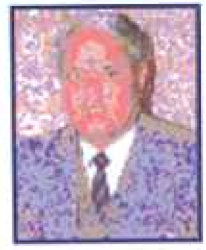

Hon'ble Shri D.S. Meena

Member

Rajasthan State Human Rights Commission

Shri D.S. Meena was born on 13.07.1944 in Village Unapur of Tehsil Weir, District BHARATPUR, RAJASTHAN. After completing his M.A. in Geography from Udaipur University, he joined the Indian Administrative Service in the year 1970. He held charge of the posts of Collector & District Magistrate, Jaisalmer and Nagaur.

He also worked as Commissioner, Colonisation, MD, RSRTC and Special Secretary to Govt. Irrigation & Energy, Revenue & Colonisation, Agriculture, GAD, UDH and Cabinet Sectt. Depits. He has held the posts of Secretary Mines, Forest, Environment, Election Deptt., RD & 20 Point Programme, Deptt. of Personnel, Administration Reforms & Coordination and also worked as Secy. to Govt. Transport, Planning & Institutional Finance and Irrigation Deptts.

He was Principal Secretary to Govt., Co operatives, Forest & Environment Deptt. and Chairman, Rajasthan Pollution Control Board. After having worked as Principal Secretary to Govt., Agriculture Deptt., Development Commissioner & Principal Secretary Panchayati Raj. He got promoted to the rank of Chief Secretary.

He worked as Addl. Chief Secy. and Development Commission, Govt. of Rajasthan. On Superannuation from IAS, he joined Rajasthan State Human Rights Commission as Hon'ble Member on 07.07.2005.

Meet the Member

Hon'ble Shri Pukhraj Seervi

Member

Rajasthan State Human Rights Commission

Shri Pukhraj Seervi was born on May 6, 1944 at village Atbara- District Pali (Rajasthan), joined Rajasthan Police Service in the year 1967, selected in Indian Police Service in May, 1985 and promoted as Dy. Inspector General of Police in August, 1996 and elevated to the rank of Inspector General of Police since 31.05.2002. His last posting was as I.G.P. Range, Bikaner before retirement on 31.05.2004.

Indian Police Service : Batch-SP-1981, Rewards : Panchami Star in 1971 in 1971, Sangram Medal 1971.

Police Medal for Meritorious Service 26.01.1985 & Presidents Police Medal for Distinguished Service 15.08.2003.

As served in districts Dungarpur, Jhunjhunu, Banswara, Bharatpur, Nagaur, Dausa and Capital City Jaipur, besides C.I.D. (Crime Branch) and was posted as I.G.P. (Boarder) incharge of Bikaner & Jodhpur Ranges with Headquarters at Jodhpur.

Joined as Member, Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur on dated April' 15th, 2006.

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्या 10) जिसे एतदपश्चात् "अधिनियम" कहा गया है, में मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए तथा उससे सम्बद्व या उसके आनुषगिक मामलो के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 21(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य के लिए भी 18 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष एव सदस्यों की नियुक्ति मार्च, 2000 में की गई।

सर्वप्रथम न्यायमूर्ति श्रीमती कांता भटनागर, पूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनाक 23.3.2000 से 11.8.2000 तक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उनके द्वारा पद से त्यागपत्र देने के उपरांत उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति माननीय सागीर अहमद इस पद पर दिनांक 16.2.2001 से 3.6.2004 तक आसीन रहे। इनके द्वारा भी पदत्याग करने के उपरांत, आयोग के ही माननीय सदस्य श्री अमरसिंह गोदारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति अपनी सेवानिवृत्ति तक (दिनांक 06.07.2005 तक) आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। इनकी सेवानिवृत्ति उपरांत मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री नगेन्द्र कुमार जैन को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिन्होंने दिनांक 16 जुलाई, 2005 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला।

आयोग में माननीय अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा श्री जगतसिंह, पूर्व न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं श्री धर्मसिंह मीणा, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई। जिन्होंने क्रमशः दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 एवं 7 जुलाई, 2005 को आयोग के माननीय सदस्यों के रूप में कार्यभार संभाला। दि. 15.4.2006 को श्री पुखराज सिरवी ने आयोग में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

मानव अधिकार क्या है?

प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों में वर्णित हैं। न्यायालय भी उसको मान्यता देता है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा भी स्वीकार किये गये हैं।

इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, स्त्री, पुरुष, बच्चे व वृद्व लोगों के समान अधिकार। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंगभेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं। इसके अलावा प्रत्येक 14 साल की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति एवं अपना समुचित विकास करने हेतु उपयुक्त अवसर पाने का अधिकार प्राप्त है व उनके हनन का मामला राज्य मानवाधिकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जवाबदारी हो। सुशासन वह महत्वपूर्ण तत्व है, जो मानव अधिकारों की रक्षा को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करता है। बेहतर समाज के लिये जरूरी है, मानव अधिकारों का संरक्षण हो।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(घ) के अनुसार "मानव अधिकारों" से तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में अर्न्तनिहित उन अधिकारों से है, जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से संबंधित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से आशय

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसम्बर 1966 को अभिस्वीकृत, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकर प्रसंविदा तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा से है।

राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां

आयोग निम्नलिखित सभी या किन्ही कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात :–

क. स्वप्रेरणा से या किसी पीडित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर

- मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की या,
- किसी लोकसेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा,

ख. किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा,

ग. राज्य सरकार को सूचना देने के अध्यधीन, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा,

घ. मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन प्रावहित सुरक्षाओं का पुनरावलोकन करेगा तथा उनके प्रभावी कियान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा,

ङ. उन कारकों का, जिनमें उग्रवाद के कृत्य भी हैं, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं, पुनरावलोकन करेगा एवं उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा,

च. मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा,

छ. समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशनों, साधनों (मीडिया) सेमीनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संराण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरूकता को विकसित करेगा,

ज. मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा,

झ. ऐसे अन्य कृत्य करेगा जिन्हें वह मानव अधिकारों के संवर्द्धन के लिए आवश्यक समझेगा।

आयोग में निहित जांच से संबधित शक्तियां

अधिनियम के अन्तर्गत किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी :–

क. गवाहों को सम्मन जारी करके बुलाने तथा उन्हें हाजिरी हेतु बाध्य करने एवं उन्हें शपथ दिलाकर परखने के लिए,

ख. किसी दस्तावेज का पता लगाने और उसको प्रस्तुत करने के लिए,

ग. शपथ-पत्र पर गवाही देने के लिए,

घ. किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि की मांग करने के लिए,

ङ. गवाहियों तथा दस्तावेजों की जांच हेतु कमीशन जारी करने के लिए,

च. निर्धारित किए गए किसी अन्य मामले के लिए

क्या आयोग के पास अपना अन्वेषण दल है?

मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए आयोग के पास अपना अन्वेषण दल है। अधिनियम के अन्तर्गत आयोग को इस बात की भी छूट प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सके।

क्या आयोग स्वायत्तशासी निकाय है?

आयोग की स्वायत्तता इसके सदस्यों की नियुक्ति के ढंग, उनके कार्यकाल की स्थिरता और सांविधिक गारंटी, उनको दी गई पदवी और आयोग के लिए, जिसमें अन्वेषण अभिकरण भी शामिल है, स्टाफ की नियुक्ति का तरीका, कर्मचारियों के दायित्व और उनके कार्य निष्पादन से स्वयं स्पष्ट हो जाती है। आयोग की वित्तीय स्वायत्तता का वर्णन अधिनियम की धारा 33 में किया गया है।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री एवं विधानसभा के विपक्ष के नेता सदस्य हैं, की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।

आयोग द्वारा शिकायतों की जांच किस प्रकार से की जाती है?

मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करते समय आयोग राज्य सरकार अथवा उनके अधीन किसी अन्य प्राधिकरण अथवा संगठन से निर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित सूचना या रिपोर्ट मंगा सकता है, किन्तु यदि निर्दिष्ट तारीख तक आयोग को सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो वह अपनी ओर से स्वयं शिकायत की जांच कर सकता है। दूसरी ओर ऐसी सूचना या रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग यदि संतुष्ट हो जाता है कि अब आगे कोई जांच करने की जरूरत नहीं है अथवा संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित जांच शुरू कर दी गई है तो वह, आमतौर से, ऐसी शिकायत पर आगे जांच नहीं करेगा तथा तदनुसार शिकायतकर्ता को तत्संबंधी कार्यवाही की सूचना दे देगा।

जांच के बाद आयोग क्या कार्यवाही कर सकता है?

जांच पूरी होने के पश्चात् आयोग निम्नलिखित में से कोई भी कार्यवाही कर सकता है :–

1. जांच से आयोग को जहां यह पता चलता है कि किसी लोकसेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा उसने ऐसे हनन को रोकने की उपेक्षा की है तो ऐसी स्थिति में आयोग राज्य अथवा प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन अथवा ऐसी अन्य कार्यवाही शुरू करने की, जो उचित हो, अनुशंसा कर सकता है,
2. आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देशों, आदेशों अथवा रिट के लिए, जो भी आयोग आवश्यक समझे, अनुरोध कर सकता है,?
3. आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्यों को, जिसे भी आयोग आवश्यक समझे, राज्य सरकार अथवा प्राधिकारी से अंतरिम सहायता तत्काल देने की अनुशंसा कर सकता है।

शिकायत किस भाषा में की जा सकती है?

शिकायत हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में भेजी जा सकती है। शिकायतें अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। शिकायतों के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। आयोग जब भी आवश्यक समझे आरोपों के समर्थन में और अधिक सूचना भेजने तथा शपथ पत्र दाखिल करने की मांग कर सकता है। आयोग स्वविवेक से तार तथा फैक्स द्वारा भेजी गई शिकायतें भी स्वीकार कर सकता है। शिकायत आयोग के टेलीफोन नम्बर पर भी की जा सकती है (कृपया परिशिष्ट–क) का अवलोकन करें।

आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जाती?

आमतौर से निम्न प्रकार की शिकायतों पर आयोग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती :–

क. ऐसी घटनाएं जिनकी शिकायतें उनके घटित होने के एक साल बाद की गई हों,

ख. ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हो,

ग. ऐसी शिकायतें जो अस्पष्ट, बिना नाम अथवा छद्म नाम से की गई हों,

घ. ऐसी शिकायतें जो तुच्छ प्रकृति की हों,

ङ. ऐसी शिकायतें जो सेना से संबंधित मामलों के बारे में हों,

च. यदि किसी शिकायत पर अन्य सक्षम आयोग द्वारा पूर्व में ही कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी हो

छ. ऐसी शिकायत जो मूल रूप से किसी अन्य आयोग/अधिकारी/प्राधिकारी को संबोधित की गई हो ।

आयोग द्वारा प्राधिकारी/राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट/अनुशंसाओं के बारे में उनका क्या दायित्व है?

आयोग द्वारा प्राधिकारी/राज्य सरकार को भेजी गई समान्य प्रकार की शिकायतों पर अपनी टिप्पणी/की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को एक महीने के भीतर भेजनी होती है ।

आयोग के अब तक के कार्यों का केन्द्र बिन्दु (फोकस) क्या है?

आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं जिनमें नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। आयोग हिरासत में हुई मौतों, बलात्कार, उत्पीडन, पुलिस और जेलों में ढांचागत सुधार, सुधारगृहों, मानसिक अस्पतालों की हालत सुधारने के मामलों पर विशेष ध्यान दे रहा है।

समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण करने की दृष्टि से, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चें को आवश्यक तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने, माताओं और बच्चों के कल्याण हेतु प्राथमिक सुविधाएं सुनिश्चित करने, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि पेयजल, खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने की, आयोग ने सिफारिशें की है। समानता और न्याय का हनन कर, नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों, विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं और भूख के कारण लोगों की मौतें, बाल श्रमिकों का शोषण, बाल वेश्यावृत्ति, महिलाओं के अधिकारों, अपंगों के अधिकारों, धार्मिक असहिष्णुता के मुद्दे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि पर आयोग ने अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

आयोग द्वारा शुरू किए गए अन्य प्रमुख कार्य

अपनी व्यापक रूप से बढती हुई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिकायतों की जांच के अलावा निम्नलिखित कार्यो को भी अपने हाथ में लिया है :

नागरिक स्वतंत्रताएं

1. पुलिस द्वारा गिरफतार करने के अधिकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए दिशा–निर्देश।
2. जिला मुख्यालय पर "मानव अधिकार सेल" की स्थापना।
3. हिरासत में हुई मौतों, बलात्कार और मानवीय उत्पीडन को रोकने के उपाय।
4. व्यवस्थागत सुधार : 1. पुलिस 2. जेल 3. नजरबंदी केन्द्र।

5. माताओं में अल्परक्तता और बच्चों में जन्मजात मानसिक अपंगतस की रोकथाम।

6. एचआईवी / एड्स से पीडित लोगों के मानव अधिकार।

7. मानसिक अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार।

8. हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए प्रयास।

9. गैर–अनुसूचित और खानाबदोश जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सिफारिशें करना।

10. जनस्वास्थ्य प्रदूषण नियंत्रण, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम, औषधियों में मिलावट व अवधिपार औषधियों पर रोक।

11. धर्म, जाति, उपजाति आदि के बहिष्कार के मामलात।

12. मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रसार और अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि।

आयोग का दिनांक 6.7.2005 से पुर्नसंगठनात्मक विवरण :–

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगत सिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सिरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिए महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव)

2227738 (फैक्स)

परिशिष्ट "क"

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हां, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथा सम्भव निम्न सूचना अवश्य अंकित करे :–

(क) पीडित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गांव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरूद्व शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित)।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम–पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हां, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लंबित हैं? हां, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें ।

परिवाद/शिकायत सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग ने कहा

विवाह स्थलों के सम्बन्ध में कानून

शादी-विवाह व अन्य समारोहों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से आवासीय परिसर किराए पर दिए जा रहे हैं। आयोग ने इनके सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए नगरपालिकाओं व अन्य स्थानीय निकायों को लिखा। इसके बाद सम्बन्धित पार्टीज को सुनकर नगर निगम, जयपुर ने इस सम्बन्ध में कानून बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली व सरकार को कानूनी सहमति के लिये भेज दी।

बच्चे देश का भविष्य

बच्चे देश का भविष्य हैं। उनके सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ चित्रकला एवं खेलकूद जैसी सहशैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। इससे प्रतिभा निखरेगी व आत्मविश्वास विकसित होगा और समभाव से देश प्रेम की भावना भी जागृत होगी। बच्चों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अनेक दिशा-निर्देश हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अभिभावक एवं समाज को समन्वित प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रसार भी आवश्यक है।

- आयोग के निर्देश पर बाल श्रमिकों की परियोजना बनी, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित हो गई है।
- अनुराग संगीत संस्थान द्वारा जनवरी में नेत्रहीन एवं विकलांग बालकों के मानवाधिकार तथा नेत्रहीन बालकों की राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 1500 नेत्रहीन बच्चों ने भाग लिया।

हर नागरिक को मिले स्वास्थ्य सुविधा

कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य के सभी नागरिकों खासकर बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों में सभी उपकरण एवं मशीनें ठीक हों, इससे ही अस्पतालों का उद्देश्य सफल हो सकेगा। आयोग ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में आए दिन जांच उपकरण खराब होने की जानकारी मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों से इसका कारण पूछा।

अस्पतालों में जांच उपकरणों के साथ ही गहन चिकित्सा इकाई में रोगी को तुरन्त उपचार मुहैया कराने के लिए आवश्यक आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्य सचिव अनिल वैश्य के अचानक बीमार होने के दौरान उन्हें कुछ दवाइयां तुरन्त उपलब्ध नहीं हो पाई व बाहर से मंगाई। आयोग ने इस बारे में समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया और इस स्थिति में सुधार के उद्देश्य को लेकर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से जवाब मांगा।

इसी तरह फर्जी तरीके से चिकित्सा मंत्री डॉ. दिगम्बर सिंह का बीमारी का प्रमाण पत्र बनने के मामले में भी आयोग ने वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

आयोग व राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी जयपुर के तत्वावधान में एच.आई.वी./एड्स एवं मानवाधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें ऑपरेशन के दौरान प्रत्येक रोगी, गर्भवती महिलाओं का इस बीमारी का परीक्षण कराने पर जोर देने पर प्रमुखता से चर्चा हुई। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कार्यशाला में कहा कि आयोग में पिछले दिनों दो-तीन मामले एच.आई.वी./एड्स से संबंधित आए। इस पर एड्स रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए और निदेशक (एड्स) से हर दो माह में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जैन ने कहा कि यदि हम समर्पण के साथ एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों को चलाएं तो यह मानवता के प्रति महान कार्य होगा। कार्यशाला में प्रमुख चिकित्सकों के अलावा आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जगत सिंह एवं सदस्य डी.एस. मीणा ने भी भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजधानी जयपुर में प्रमुख कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, गृहमंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं यू.एस. एसोसिएशन के डॉ. सुरेश श्रीवास्तव ने भाग लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से भी इस उपलक्ष में कुलपति डॉ. एन.के. जैन की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया।

पेंशनर्स दिवस पर 17 दिसम्बर को पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी द्वारा पेंशनर्स एवं मानवाधिकार पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, इसमें विधायक श्री वीरूसिंह राठौड़, श्री सुरेन्द्र पारीक एवं पेंशनर्स सोसायटी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने भाग लिया।

नवम्बर 2005 में संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा जिला कलक्टर,

अलवर एवं जिले के विभिन्न के अधिकारियों, एडवोकेट, एमएलए, पीएनजी, एन.जी.ओ., बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के लिए अलवर में गोष्ठी का आयोजन किया, इसमें आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भी भाग लिया। इसी तरह की गोष्ठी पहले राजधानी जयपुर में आयोजित की गई। इसमें जिले के प्रमुख अधिकारियों ने अपने विचार रखे।

जेलों का वातावरण सुधारा जाए

25 फरवरी, 2006

राज्य मानवाधिकार आयोग एवं कारागार महानिदेशालय की ओर से सचिवालय में 'कारागार एवं मानवाधिकार' विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने छोटी बालिकाओं से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि संगीन अपराध करने वालों को कठोर सजा आवश्यक है। चैन तोड़ने वाले जमानत लेकर फिर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बंदियों की खुराक में सुधार करने पर विचार किया जाएगा।

राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि जेलों का वातावरण सुधरने पर ही बंदी का आचरण सुधर सकता है। जेल में आते ही बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर.एस. चौहान ने कहा कि बंदियों को पैरोल पर छोड़ने की नीति लचीली होनी चाहिए। जेलों को अनुत्पादक मानकर पर्याप्त बजट का आवंटन नहीं किया जाता।

महानिदेशक (जेल) आर.एस. चौहान, मानवाधिकार आयोग सदस्य जगतसिंह व धर्मसिंह मीणा, विधि सचिव गुमान सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस व जेल अधिकारी भी मौजूद थे।

आयोग समय-समय पर यह मंशा जाहिर कर चुका है कि बंदियों को बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए। जेलों में बंदियों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन, खेलकूद, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। बंदियों को पेंटिंग, संगीत एवं योग सिखाया जाए। त्यौहारों का आयोजन भी जेलों में होना चाहिए। पुलिस महानिदेशक को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु प्रकरण में दिए निर्देशों की पालना की ओर ध्यान दिलाया।

आयोग की अन्य गतिविधियां

- बालवाड़ी के बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों व पेंशनभोगी लोगों से बच्चों में अच्छी शिक्षा के साथ नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों व अच्छे संस्कार देने पर चर्चायें की।
- आयोग द्वारा 'सौराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी' के छात्रों को मानवाधिकार विषय पर आवश्यक जानकारी दी गई, छपी हुई सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।
- भारतीय बाल कल्याण परिषद् के माध्यम से 14 नवम्बर, 2005 को राज्यभर के छात्र-छात्राओं ने सुन्दर चित्रकारी, दी लिटिल पाक्षिक स्कूल की 'बाल फुलवारी' द्वारा पर्यावरण विषय के विभिन्न पहलुओं को पोस्टरों/इश्तिहारों के माध्यम से अपने नन्हें-मुन्ने हाथों से प्रोजेक्ट किया तथा 10 दिसम्बर, 2005 को मानवाधिकार दिवस पर आयोजित समारोह में महावीर स्कूल के छात्र-छात्राओं, जिन्होंने मानवाधिकार विषय के विभिन्न पहलुओं को चित्रकला के माध्यम से प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया, उक्त सभी इसके लिये बधाई के पात्र हैं।
- इसके अतिरिक्त ये सभी स्कूल भी यथा- आदिनाथ संस्थान, बाल शिक्षा मंदिर, बीएसएम पब्लिक स्कूल, श्री महावीर दिगम्बर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिन्होंने, विचार गोष्ठियों, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं अन्य कलाकृतियों के माध्यम से मानवाधिकार विषय पर जन-जागृति उजागर करने में मदद की, वे भी सराहना एवं बधाई के पात्र हैं।

आयोग में विचाराधीन परिवादों की स्थिति

दिनांक 30.06.2005 को 671 परिवाद लम्बित थे। वर्ष 2005-2006 में 3890 नये परिवाद दर्ज हुए, जिनमें से 32 परिवादों में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया। 3173 नये मामले, पुराने व री-हेयरिंग 848 कुल 4021 मामलों में तर्कसंगत निष्कर्ष कर प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। दिनांक 01.04.06 तक आयोग में 906 प्रकरण लम्बित हैं।

आयोग चाहता है

- विभिन्न विभागों के अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। जिससे मानवाधिकारों का हनन कम से कम हो।
- पानी व शौचालयों की जगह-जगह व्यवस्था हो। शौचालयों की सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए।
- समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में बच्चों की सुविधाओं के लिए मिलने वाली राशि माली व रसोईए पर खर्च न हो, उनके लिए अलग से राशि की व्यवस्था हो।
- जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जयपुर अतिक्रमण रोके व नालों की बारिश के पहिले सफाई करावे।

- आवारा पशुओं का बेरोकटोक घूमना रुके। ऐसा नहीं करने पर आवारा पशु के कारण दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने अथवा मृतक के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निगम /नगरपालिका की होगी।
- नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले। पर्यावरण नियंत्रण मंडल ध्यान रखें कि फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा एवं रसायन तालाब आदि में न जाए। कोई भी फैक्ट्री बिना सहमति व LTA Plant काम न करें-मण्डल नियमित रूप से उनकी मॉनिटरिंग करें व सफाई की समुचित व्यवस्था हो।
- राज्य सरकार आयोग को वित्तीय स्वायत्ता एवं अन्य सुविधाओं के साथ-साथ आयोग में रिक्त स्थानों की भर्ती की इजाजत देगी।

सुशासन के लिए मानवाधिकार हनन रोकना जरूरी

10 अक्टूबर 2005

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भास्कर राव ने मानवाधिकारों के हनन पर अंकुश को सुशासन का मूलमंत्र बताया। उन्होंने जयपुर प्रवास के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एवं मद्रास व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.के. जैन, आयोग के सदस्य एवं शासन के अन्य उच्चाधिकारीगण भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु के मामले में दिए निर्देशों की पालना का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा कोई भी न्यायालय को अवमानना की शिकायत कर सकता है। पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ अधिक होने की समस्या भी सामने आ रही है।

आयोग का मत है कि मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु सरकारी मशीनरी के साथ-साथ आम जनता का सहयोग एवं प्रिंट मीडिया की भी सकारात्मक भूमिका अति आवश्यक है।

मिलते-जुलते नाम से सावधान

'मानवाधिकार' के नाम पर एक दर्जन से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों के खिलाफ पैसे कमाने की शिकायतें मिली हैं। 'राष्ट्रीय मानवाधिकार विभाग' और 'मानवाधिकार संरक्षण मंच' नाम के गैर सरकारी संगठन भी चल रहे हैं। आयोग स्पष्ट कर देना चाहता है कि जयपुर स्थित राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की कोई अन्य शाखा अथवा कार्यालय राजस्थान में और नहीं है और न ही ऐसा कोई संगठन इस आयोग से संबद्ध है। ऐसे ही एक फर्जी संगठन के एक व्यक्ति ने स्वयं को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बताकर एक अन्य संस्थान का निरीक्षण भी कर लिया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन से ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये हैं।

आयोग जवाब चाहता है, क्यों-

- स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे बस्तों के बोझ से दबे है।
- बालवाड़ी के बच्चे पांच साल से कम के हैं। उनके स्कूल का समय बड़े बच्चों के मुकाबले कम नहीं है।
- स्कूलों में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है।
- स्कूलों में पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय, मूत्रालय, साफ-सफाई एवं पंखे की व्यवस्था नहीं है।

आयोग के पदाधिकारियों द्वारा अस्पतालों, जेल, पुलिस थानों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, गौशालाओं एवं पशु चिकित्सालयों आदि का निरीक्षण किया या एवं मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं।

आशा है कि न्यूजलेटर, विधिक साक्षरता एवं मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में आम व्यक्ति एवं आयोग के मध्य एक सेतु का कार्य करेगा, जिससे मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में मदद मिलेगी।

धन्यवाद

इस आयोग के पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सभी अधिकारियों को मानवीय संवेदनशीलता से काम करने के साथ-साथ परिवादों पर आयोग द्वारा मांगी गई वस्तुस्थिति की जानकारी व टिप्पणी भेजने के लिये लिखा, जिससे आयोग को परिवादों के जल्दी निपटाने में आसानी रही। इसके अलावा उन्होंने सचिवालय, अस्पताल का भी निरीक्षण किया व सफाई की हिदायत दी, इसके लिये वे धन्यवाद की पात्र हैं।

मानव अधिकारों की जागरूकता एवं सुरक्षा की भूमिका निभाने के दायित्वों के साथ-साथ प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने व सहयोग के लिये पत्रकार बंधु धन्यवाद के पात्र हैं।

10 दिसम्बर ''अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस'' पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, गृहमंत्री श्री कटारिया, उद्योग मंत्री श्री नरपतसिंह राजवी, जस्टिस एन.के. जैन, अध्यक्ष आयोग एवं श्री सुरेश श्रीवास्तव।

मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष आयोग 10 दिसम्बर के समारोह में महावीर पब्लिक स्कूल के कैडेट्स के बीच में।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं सचिव आयोग स्टॉफ के साथ।

''अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस'' के अवसर पर समारोह में पधारे हुए सम्माननीय न्यायाधिपतिगण एवं अन्य अतिथि।

''कारागृह और मानवाधिकार'' विषय पर आयोजित कार्यशाला में जस्टिस एन.के. जैन, माननीय अध्यक्ष, जस्टिस आर.एस. चौहान, गृहमंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्यगण डी.जी., विधिसचिव एवं उपस्थित अधिकारीगण।

''कारागृह और मानवाधिकार'' कार्यशाला अवसर पर ही आयोग अध्यक्ष का सम्बोधन। साथ में गृहमंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं आयोग सदस्य श्री डी.एस. मीणा।

नेत्रहीन एवं विकलांग बालकों के मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता के अवसर पर 'अनुराग संगीत संस्थान' की ओर से आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, आयोग अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन एवं संस्थान के श्री अजीत जैन।

'बाल दिवस' पर माननीय अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत, सांसद श्री रामदास अग्रवाल, श्रीमति विजयलक्ष्मी, अध्यक्ष, आई.सी.डी.सी. जयपुर शाखा।

'एच.आई.वी. /एड्स एवं मानवाधिकार' विषय पर कार्यशाला में आयोग अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन, माननीय सदस्यगण जस्टिस जगतसिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं राज. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के पी.डी. डॉ. बी.एल. चोधरी, डॉ. सेठी, डॉ. पी.पी.एस. माथुर एवं डॉ. बाफना।

'अखिल भारतीय जैन विद्या संगोष्ठी'

'पुराण साहित्य में जीवन मूल्य' के अवसर पर उपस्थित डॉ. रमेश जैन, डॉ. टी.सी. कोठारी, आर.के. काला, जस्टिस जैन, कुलपति श्री एन.के. जैन, डॉ. पी.सी. जैन, डॉ. एच.सी. भारिल्ल, श्री महावीर राज, प्रो. भार्गव व अन्य विद्वजन।

महावीर दिग. जैन बालिका उ.मा.वि. में 'गणतंत्र दिवस' समारोह में झण्डारोहण एवं सलामी देते हुए जस्टिस एन.के. जैन, सर्वश्री निहाल सोगानी, इन्दुपाटनी, सुमेर चन्द सोनी, राजेन्द्र गोधा एवं श्री रामचरण मंत्री

'गणतंत्र दिवस' के अवसर पर ही बाल शिक्षा मंदिर में समारोह के दौरान उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण सर्वश्री राजेन्द्र शेखर, डॉ. सेठी, सुशील जैन, पी.सी. जैन, जस्टिस एन.के. जैन, मदनलाल बैनाड़ी, रमेश गंगवाल।

आयोग अध्यक्ष की सदारत में 27 फरवरी, 2006 को पर्यावरण सुरक्षा विषय पर सांस्कृतिक समारोह के दौरान 'दी लिटिल पिक्सिज' स्कूल के बालक वार्षिकोत्सव के अवसर पर।

जागरूकता से ही रोका जा सकता है अधिकारों का हनन

जयपुर, 11 नवम्बर (कासं)। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन.के. जैन ने कहा है कि आयोग का काम व्यापक है। हर व्यक्ति के मूल अधिकारों को संरक्षण मिले इसके लिए जनचेतना जगाने की जरूरत है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे अपने उपलब्ध संसाधनों में ही मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बेहतर काम करें। जैन शुक्रवार को सचिवालय में आयोग की ओर से आयोजित एक सेमीनार में बोल रहे थे। इस सेमीनार का आयोजन मानवाधिकारों के प्रति जनचेतना जगाने के उद्देश्य से किया गया था। जैन ने कहा कि आम जनता के जो दुःख दर्द और समस्याएं हैं, उन्हें कम करने में हमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। यह मानवता की सच्ची सेवा होगी। जैन ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि सरकारी विभाग मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन इस दिशा में और कार्य करने की जरूरत है। आयोग के सदस्य डी.एस. मीणा ने कहा कि आज ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

स्वर संगम में उठाए सामाजिक मुद्दे

श्री जैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज व आदिनाथ पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव

आगरा, 27 जनवरी (का.सं.)

[illegible]

कागजी कार्रवाई के बजाए एक्शन जरूरी-जैन

जनता से जुड़े विभागों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कहा जाएगा

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 18 नवम्बर।

[illegible]

8 मेट्रो पत्रिका

'कल्याणकारी योजनाएं तत्परता से लागू हों'

कार्यालय संवाददाता

कार्यशाला

जयपुर, 11 नवम्बर। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन.के.जैन ने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर सभी विभागों से जनकल्याणकारी योजनाएं तत्परता से लागू करने का आग्रह किया है।

मानवाधिकारों के प्रति जनचेतना जागृत करने लिए शुक्रवार को शासन सचिवालय में हुई कार्यशाला में उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग का कार्य व्यापक है। आयोग के सदस्य डी. एस. मीणा ने मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने का आग्रह किया। कार्यशाला में सम्भागीय आयुक्त राजेन्द्र भाणावत, पुलिस अधीक्षक यातायात श्रीमती सत्यप्रिया सिंह, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के परियोजना निदेशक डॉ. बी.एल. चौधरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पवन अरोड़ा, डीआईजी जेल एस.एस. बिस्सा, जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता एन.सी. माथुर, सवाईमानसिंह अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ.नरेन्द्र लोढ़ा, सुबोध पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती बेला माथुर आदि ने भी विचार व्यक्त किए।

रक्त के एचआईवी टेस्ट को प्रोत्साहन जरूरी

जयपुर, 25 मार्च (का.सं.)। एचआईवी टेस्ट केवल एड्स रोगी का ही नहीं, हर व्यक्ति का हो। इससे न सिर्फ एड्स रोगी की प्रारम्भिक स्तर पर ही पहचान हो जाएगी, बल्कि उसके जरिए एड्स के प्रसार को रोका जा सकता है।

एड्स रोगी सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका मनोस्थिति पर विपरीत प्रभाव होता है। इसमें सुधार के लिए समाज में एड्स रोगियों के प्रति बर्ताव में सुधार की जरूरत है। राज्य मानवाधिकार में एड्स जागरूकता कार्यक्रमों की रिपोर्ट लेगा। जनाना अस्पताल अधीक्षक डॉ. आदर्श भार्गव ने कहा कि चिकित्सकों को आपात स्थिति में बिना पूर्व सहमति जांच की इजाजत मिलनी चाहिए, जिससे रोगी को तुरन्त उपचार मिल सके। इसके लिए नियमों में बदलाव हो। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. पी.पी.एस. माथुर ने कहा कि एड्स रोगियों की समाज में स्वीकार्यता बढ़े, जिससे एड्स रोगी सामने आएं।

आयोग सदस्य जगत सिंह एवं डी.एस.

जागरूकता कार्यशाला

'स्वयंसेवी संस्थाएं बचा सकती हैं लोगों को एड्स से'

जयपुर, 25 मार्च • नसं। एड्स से बचाव के लिए समाज में व्यापक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावी भूमिका निभानी होगी।

यह बात राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने शनिवार को हरीश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभागार में आयोजित एड्स जागरूकता कार्यशाला में कही। कार्यशाला का आयोजन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के तत्वावधान में किया गया था।

राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जगतसिंह और डी.एस. मीणा ने कहा कि एड्स से बचाव के उपायों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है। एड्स कंट्रोल सोसायटी के परियोजना निदेशक डॉ.बी.एल. चौधरी ने राज्य में एड्स की रोकथाम और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी।

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक ने एड्स रोगी को हीन भावना से नहीं देखने पर जोर दिया। आयोग के सचिव गिरिराज सिंह ने आगंतुकों का आभार जताया।

Seminar on human rights

HT Live Correspondent

THE STATE Human Rights Commission (SHRC) organised a seminar to generate awareness on human rights at Secretariat on Friday in which departmental officers and employees participated. SHRC Chairman NK Jain said that work of the commission was important and varied, as far as ensuring the protection of human rights was concerned. All officials concerned should ensure that human rights of every individual was protected in the limited resources available, he said, while addressing the officials at the seminar.

Commission member, DS Meena called for sensitivity of the working environment for protection of human rights. There was a need to work on issues like exploitation of poor, problems of pensioners and providing treatment to poor. There was also a need to protect the human rights of women in the State, Jain said.

नहीं सुधरे तो पार्किंग ठेकेदार की छुट्टी

मानवाधिकार आयोग के निर्देश

जयपुर, 11 जनवरी (का.सं.)। पार्किंग ठेकेदार सावधान! किसी ठेकेदार के बारे में दूसरी बार शिकायत आई तो उसकी हमेशा के लिए छुट्टी, उसे कभी दुबारा पार्किंग का ठेका नहीं मिलेगा। जिन बहुमंजिला भवनों में पार्किंग की सुविधा नहीं है, उनके मालिकों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसकी पालना के लिए जिला कलक्टर, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम तथा जयपुर शहर यातायात पुलिस अधीक्षक को कहा है। आयोग को पार्किंग स्थलों पर मनमानी वसूली की शिकायत मिली थी, जिस पर सम्बन्धित महकमों से जवाब मांगा गया। सभी सम्बन्धित पक्षों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की जानकारी दी। आयोग ने इनके जवाबों पर संतोष जाहिर किया और साथ ही उन्हें हिदायत दी कि आम जन को पार्किंग से सम्बन्धित असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

मानवाधिकार आयोग ने कहा

- पार्किंग का अधिक शुल्क नहीं वसूला जाए।
- पार्किंग स्थल पर नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो।
- एक से अधिक शिकायत आने पर पार्किंग ठेका निरस्त कर भविष्य में उसे जिम्मेदारी नहीं दी जाए।
- निर्मित बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग व्यवस्था को अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो।
- पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं करने वालों को बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की मंजूरी नहीं मिले।

पार्किंग बगैर बहुमंजिला भवनों की इजाजत नहीं दें

मानवाधिकार आयोग ने निगम और जेडीए को दिए निर्देश

जयपुर, 11 जनवरी • नसं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने जेडीए व नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि पार्किंग की सुविधा के बगैर बहुमंजिला भवनों के निर्माण की इजाजत नहीं दी जाए।

BHASKAR IMPACT भास्कर इंपैक्ट

शहर की पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग ने पहल की है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन ने एक परिवाद का निस्तारण करते हुए दोनों निकायों को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जिन बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आदेश नहीं मानने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लोक संरक्षण समिति के पी.एस. मैन्दोला ने दैनिक भास्कर में छपी खबर पार्किंग के नाम से अवैध वसूली को आधार बनाकर आयोग को शिकायत की थी।

हर आदमी को गरिमा के साथ जीने का हक : जस्टिस जैन

मानवाधिकार आयोग की सेमिनार

सिटी रिपोर्टर

प्रत्येक इंसान को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले 'सिटीजन चार्टर' जारी किया गया था, लेकिन उसका पालन आज तक नहीं किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस चार्टर को गंभीरता से लागू किया जाए। यह विचार राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस एन.के. जैन ने शुक्रवार को कमीशन की ओर से 'ह्यूमन राइट्स' पर आयोजित सेमिनार में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि एक ओर एड्स अवेयरनेस के कैंपेन चलाए जाते हैं तो दूसरी ओर एड्स पेशेंट आने पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने से कतराते हैं। एड्स के मरीजों को भी जीने का अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए।

कुछ ही दिनों पूर्व मालवीय नगर में एक वृद्ध महिला को पुत्र द्वारा बंदी बना लेने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वॉयलेंस से संबंधित कानून पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है, लोगों में कानून का डर खत्म हो गया है। इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है।

जस्टिस एन.के. जैन ने कहा कि जेल में कैदियों के मेडिकल चैकअप के लिए समुचित इंतजाम किए जाने चाहिए। कैदियों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

डीआईजी (जेल) श्यामसुंदर दास ने जेल में कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के साथ-साथ जेल में व्याप्त कमियों का जिक्र किया और सुधार का भी भरोसा दिलाया।

आरटीओ पवन अरोड़ा ने सेमिनार के दौरान कहा कि जनता को शीघ्र लाइसेंस मिले, इसके लिए उनका डिपार्टमेंट अब कम्प्यूटर का इस्तेमाल करेगा। इस सिस्टम से लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर में फीड किए गए सवालों के जवाब टच स्क्रीन से देने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा।

एसएमएस हॉस्पिटल के सहायक अधीक्षक लोढ़ा ने हॉस्पिटल में मरीजों को दी जाने वाली फेसलिटी में कमियों को जल्दी ही दूर करने का आश्वासन दिया। सेमिनार में ट्रैफिक एसपी. सत्यप्रिया सिंह, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के बी.एल.मीणा आदि ने विचार व्यक्त किए। सेमिनार के अंत में कमीशन के सेक्रेटरी गिरिराज सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। • सिटी

सबको मिले सच्चा शासन और सुविधाएं

भास्कर न्यूज • कोटा, 21 जनवरी। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन. के. जैन ने कहा है कि आयोग का उद्देश्य है कि प्रदेश की जनता को गुड गवर्नेंस और बेहतर सुविधाएं मुहैया हो। इसके लिए आयोग ने विभिन्न माध्यमों से चिकित्सा, शिक्षा, जेल, थाने, पेयजल, सफाई, यातायात और अन्य सेवाओं की नियमित जांच के निर्देश राज्य सरकार को दिए है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आयोग के सदस्य भी इन पर नजर रख रहे है।

जस्टिस जैन ने कहा कि आयोग को पता चला है कि अस्पतालों में रोगियों से सामान मंगवाया जाता है। अस्पतालों में खून का अभाव होने से रोगियों का जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। अस्पताल में मशीनें खराब रहने के कारण रोगियों की जांच बाहर से करवानी पड़ती है। इस कारण लोगों का

मानव अधिकार आयोग की मंशा

सरकारी अस्पतालों से विश्वास उठ रहा है। ऐसे में आयोग ने डॉक्टरों से कहा है कि वे मरीजों के साथ मानवीयता बर्ताव करें। अस्पताल की सुविधाओं की नियमित जांच के निर्देश राज्य सरकार को दिए है। जयपुर में आयोग अपने स्तर पर इन पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद कैदी की मृत्यु होने पर उसकी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। जेल के बंदियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए वहां डॉक्टर व नर्स तैनात किए जाने चाहिए। जैन ने कहा कि एक समस्या रिक्त पदों के कारण भी पैदा होती है। सरकार को रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि खुली जीपों में सवारियों भरकर चलने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए आयोग ने राज्य सरकार को लिखा है। इस मामले में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओवरलोड सवारी वाहन थानों के आगे गुजर जाते है तो उन्हें पकड़ने के लिए वायरलैस से आगे संदेश दिए जा सकते है।

सरकार से कहा गया है कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाई जाए। आयोग के बारे में आकाशवाणी और टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार की योजना बनाई गई है। मेलों में आयोग की स्टाल लगाने के भी निर्देश दिए गए है।

राज्य भर में 730 मामले पेंडिंग

राज्य मानवाधिकार आयोग में वर्तमान में 730 मामले पेंडिंग है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जैन ने कहा कि आयोग ने पिछले साल में राज्य सरकार को 40 सिफारिशें भेजी थी। इनमें से 30 सिफारिशों को राज्य सरकार ने मान लिया, शेष सिफारिशें लम्बित पड़ी है। आयोग को एक महीने में 300-400 शिकायतें मिलती है। इनमें से 80 प्रतिशत मामले निपटा दिए जाते है।

सहरिया क्षेत्र के मां-बाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण

राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पूर्व जज [illegible] सिंह ने बारां, शाहबाद और किशनगंज में चल रहे मां-बाड़ी केन्द्रों व [illegible] का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में [illegible] आयोग के सदस्य [illegible] सिंह ने बताया कि उन्होंने कुल 33 केन्द्रों [illegible] केन्द्र का संचालन ठीक पाया गया। लेकिन, [illegible] सभी टीवी बंद पड़े थे। [illegible] छात्रावासों में खाद्य-पेय [illegible] लेकिन [illegible] अच्छा नहीं लगता।

मानवाधिकार संस्थाओं की जांच के निर्देश

भास्कर न्यूज • कोटा, 21 जनवरी। मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार को प्रदेश में मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन. के. जैन ने बताया कि आयोग को इस बारे में शिकायतें मिली थी।

जस्टिस जैन बताया कि अधिकारियों का कहना था कि कुछ संस्थाएं दबाव बनाने के लिए आयोग में शिकायत करने का काम कर रही है। इस पर आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि इन संस्थाओं की जांच करें और शिकायत सही पाए जाने पर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि 3-4 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। प्रदेश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को भी इस बारे में लिखा गया है।

मानवाधिकार की नजर स्वास्थ्य सेवाओं पर

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 10 अक्टूबर। स्वास्थ्य सेवाओं की बीमारी मानवाधिकारों के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहा है। कहीं इसके लिए चिकित्साकर्मियों की लापरवाही जिम्मेदार है तो कहीं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव खल रहा है। एच.आई.वी. एड्स का प्रसार भी बड़ी समस्या है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश भास्कर राव ने सोमवार को यहां राजस्थान पत्रिका से बातचीत में इसका खुलासा किया। आयोग के पास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी मामले आ रहे है। पश्चिमी राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की काफी समस्याएं है। राव ने बताया कि आयोग स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास कर रहा है। इस समस्या को लेकर सिफारिशें भी दी है। एच.आई.वी./एड्स एवं विमंदित बच्चों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए है। पुलिस और थानों से सम्बन्धित समस्याएं पहले से ही मानवाधिकारों के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का हनन एक दिन में नहीं रुक सकता, इसके लिए निरन्तर प्रयासों की जरूरत है। आयोग

मानवाधिकार आयोग सदस्य की 'राजस्थान पत्रिका' से बातचीत

सचिवालय में अधिकारियों को संबोधित करते मानवाधिकार आयोग के सदस्य भास्कर राव तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन. के. जैन।

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के प्रयास कर रहा है, लेकिन मीडिया को इसके लिए साथ आना होगा।

उनका कहना था कि आबादी में लगातार बढ़ोतरी से सुविधाओं में कमी आ रही है। वित्तीय संसाधनों की सीमाएं अपनी जगह है। मानवाधिकार से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता है और इसके लिए बजट में भी प्रावधान हो।

97 फीसदी सिफारिशों की पालना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भास्कर राव ने बताया कि आयोग की 97 फीसदी सिफारिशों की पालना हो गई है। राष्ट्रीय आयोग के पास अब तक पांच लाख 47 हजार 522 प्रकरण आए, जिनमें से केवल 49 हजार 393 ही लम्बित है।

सुशासन के लिए मानवाधिकारों का हनन रोका जाए

जयपुर, 10 अक्टूबर (का.सं.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भास्कर राव ने मानवाधिकारों के हनन पर अंकुश को सुशासन का मूलमंत्र बताया।

राव सोमवार को यहां शासन सचिवालय में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। राव ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन की मौजूदगी में कहा कि मानवाधिकारों का ख्याल रखा जाए तो कोई भी एजेन्सी प्रशासन तंत्र की विरोधी नहीं रहेगी। मानवाधिकार का हनन रोकना सुशासन के लिए भी जरूरी है। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु के मामले में दिए निर्देशों की पालना का ध्यान रखना चाहिए। पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ अधिक होने की समस्या भी सामने आ रही है।

उन्होंने गरीब और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में असहाय लोगों की मदद करने का आह्वान किया। इस मौके पर अधिकारियों ने मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की सिफारिश की। बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग सदस्य बी.एस. मीणा एवं जगत सिंह, गृह विभाग के प्रमुख सचिव वी.एस. सिंह, संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भाणावत, आयोग के सचिव गिरिराज सिंह एवं महानिरीक्षक सुनील मेहरोत्रा एवं पुलिस अधिकारी एस.एस. बिस्सा भी मौजूद थे।

क्या है एसएमएस की मशीनों की बीमारी?

पुलिस पुराना ढर्रा बदले

मानवाधिकार आयोग के पुलिस प्रमुख को निर्देश

दस थानों का कभी भी आकस्मिक निरीक्षण

सांड की टक्कर से महिला की मौत

नगर निगम देगा हर्जाना

राज्य मानवाधिकार आयोग ने दिया 25 हजार क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश

है। हर व्यक्ति के मूल अधिकारों को संरक्षण मिले इसके लिए जनचेतना जगाने की जरूरत है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे अपने उपलब्ध संसाधनों में ही मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बेहतर काम करें। जैन शुक्रवार को सचिवालय में आयोग की ओर से आयोजित एक सेमीनार में बोल रहे थे। इस सेमीनार का आयोजन

करने में हमें निभानी चाहिए सच्ची सेवा होगी प्रसन्नता जाहिर विभाग मानवा जागरूक हैं, लेकि कार्य करने की व सदस्य डी.एस. आज ऐसे कई गंभीरता से काम

थानों व अस्पतालों का निरीक्षण करेगा मानवाधिकार आयोग

जेडीए और निगम अधिकारियों को साफ-सफाई पर ध्यान देने के निर्देश

सुलभ शौचालय बढ़ें, सफाई भी

एड्स पर जागरूकता कार्यशाला

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को शासन सचिवालय में एकदिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.के.जैन ने कहा कि रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सरकारी प्रयासों के साथ-साथ मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों की प्रमुख भूमिका है। प्रयोगशालाओं के अलावा चिकित्सकों का भी रोगियों को इस रोग के प्रति सचेत करने का फर्ज बनता है। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के परियोजना निदेशक डॉ.बी.एल.चौधरी ने एड्स रोग के फैलने के कारणों के बारे में विस्तार से बताया। सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉ.पी.पी.एस.माथुर ने कहा कि समाज में ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिससे एड्स रोगी को घृणा की नजर से नहीं देखा जाए ताकि रोगी इलाज के लिए आगे आए। आयोग के सदस्य डॉ.एस.सी. और आयोग के सचिव गिरिराज सिंह ने भी रोग पर अपने विचार प्रकट किए।

मानवाधिकार आयोग का दल टी.बी. अस्पताल में

जयपुर, 28 सितम्बर (प्रेस)। राज्य मानवाधिकार आयोग के दल ने बुधवार को जयपुर स्थित टी.बी. अस्पताल के हालात का निरीक्षण किया।

दल ने अस्पताल पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। वहां वार्डों के हालात देखने के साथ ही बीमारों से भी पूछताछ की। अस्पताल प्रभारी से दवाइयों एवं वहां के पर्यावरण के बारे में जानकारी की। दल शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट आयोग को सौंप देगा। इससे पहले आयोग के दल ने जयपुर की तीन गौशालाओं का जायजा लिया था, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। दल ने निरीक्षण में पाया कि हिंगोनिया गौशाला की व्यवस्था में सुधार आया है। यहां पहले हर रोज 14 गायें मरती थीं। अब वहां यह संख्या चार-पांच के करीब है। इस दल ने पिंजरापोल गौशाला एवं दवाखाने की स्थिति भी देखी।

आयोग की जानकारी में आया कि यहां अब 80 लाख रुपए हो आवंटित हुए हैं। दवाईयों का बजट अलग है।

मेलों में देंगे मानवाधिकारों की जानकारी

जयपुर, 18 अक्टूबर [का.सं.]। मानवाधिकार साक्षरता के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पर्यटन मेले-उत्सव एवं समारोहों में लोगों को मानवाधिकारों की जानकारी दी जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पर्यटन विभाग से इसके लिए प्रबंध करने को कहा है। मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए पर्यटन विभाग के अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्कूलों का सहयोग लेने पर भी विचार किया जा रहा है।

इसके लिए शीघ्र ही सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क किया जाएगा। स्वयंसेवी संगठन, मीडिया एवं सेमिनारों के जरिए भी लोगों तक मानवाधिकारों की जानकारी पहुंचाई जाएगी। इसके तहत मानवाधिकारों से सम्बन्धित क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों से उनके बारे में जानकारी मंगाई जा रही है। मानव अधिकार साक्षरता के तहत अस्पतालों की व्यवस्था एवं सुविधाओं, गिरफ्तारी से पहले एवं बाद के प्रावधान, बंदियों के अधिकार, नि:शक्त, दलित एवं बालकों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

अस्पतालों का निरीक्षण होगा: राज्य मानवाधिकार आयोग स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आगामी एक माह के दौरान जयपुर शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करेगा। इसकी शुरुआत दीपावली से पूर्व होगी। इसके लिए आयोग का दल सवाई मानसिंह अस्पताल, महिला अस्पताल, जनाना अस्पताल, जे.के. लॉन एवं मनोरोग चिकित्सालय जाएगा।

मानव अधिकार संस्थाओं की जांच के निर्देश

अलवर, 27 जनवरी (का.सं.)

राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं की जांच के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। आयोग ने उन 166 औद्योगिक इकाइयों की जांच के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखा है जो भूजल का अंधाधुंध दोहन कर जल प्रदूषित कर रही है।

यह जानकारी शुक्रवार को राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि आयोग को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ संस्थाएं अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आयोग में शिकायतें कर रही हैं। इस पर राज्य सरकार को संस्थाओं की जांच करने को कहा गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि शिकायत सही पाए जाने पर उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 3-4 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इस सम्बंध में प्रदेश के सभी जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों व मानव अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के जरिए आयोग को ऐसी शिकायतें मिली थी कि कई औद्योगिक इकाइयां भूजल का अंधाधुंध दोहन कर जल प्रदूषित कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं व अधिकार मुहैया कराना है। इसके लिए आयोग ने विभिन्न माध्यमों से चिकित्सा, शिक्षा, जेल, थाने, पेयजल, सफाई, यातायात व अन्य सेवाओं की नियमित जांच के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। आयोग में प्रतिमाह करीब 300 मामले दर्ज होते हैं। वर्तमान में आयोग के पास 730 मामले विचाराधीन हैं। जैन ने बताया कि आयोग ने राज्य सरकार को 40 सिफारिशें भेजी थी। इनमें से 30 को राज्य सरकार ने मान लिया है। शेष लम्बित हैं। आयोग ने नकली व प्रतिबंधित दवाओं के करीब 2500 नमूने लिए हैं। ओवर लोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आयोग ने राज्य सरकार को लिखा है। ओवरलोडिंग रोकने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदूषण मंडल को भी लिखा पत्र

सरकार से कहा गया है कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए आकाशवाणी व टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आयोग की जानकारी में आया है कि अस्पतालों में रोगियों से सामान मंगवाया जाता है। मशीनें खराब होने से रोगियों को बाहर जांच करानी पड़ती है।

लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों से उठता जा रहा है। ऐसे में आयोग ने चिकित्सकों से कहा है कि वे मरीजों के साथ मानवीय व्यवहार करें। अस्पताल की सुविधाओं की नियमित जांच के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। जयपुर में आयोग अपने स्तर पर अस्पतालों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारों की रक्षा के लिए हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना होगा।

जेल प्रशासन से तलब कैदियों की मौत के सबब

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 19 नवम्बर।

राज्य की जेलों में आए दिन कैदियों की मौत के मामलों को राज्य मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने जेल प्रशासन से जानना चाहा है कि पिछले दिनों में कैदियों की मौतें बीमारी से ही हुई या कोई अन्य कारण रहे। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक बेहतर इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

आयोग ने जेल प्रशासन से पूछा है कि जेल में प्रवेश से पहले नियमानुसार कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है या नहीं, क्या ज्यादातर कैदियों की मौत उसी बीमारी से हुई जो उसे जेल में प्रवेश से पहले होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण के समय थी। अगर जेल में आने के बाद कैदी बीमार होता है तो उसके कारण और इलाज की क्या व्यवस्था है, उसका इलाज करवाने का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है या नहीं।

आयोग को इस बारे में अलग-अलग शिकायतें मिली थीं कि प्रदेश की छोटी जेलों में कई जगह तो डॉक्टर नहीं है और ज्यादातर में डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है। गंभीर रोगियों को भी समय पर इलाज नहीं मिल पाता। छोटी जेलों से रोगियों को इलाज के लिए बाहर तब तक नहीं भेजा जाता जब तक वह मरणासन्न न हो जाए। बड़ी जेलों में भी उन्हीं कैदियों को अच्छे इलाज की सुविधाएं मिलती हैं जो या तो पहुंच वाले होते हैं अथवा सुविधा शुल्क देने में सक्षम होती हैं। इस बात के कई उदाहरण मौजूद हैं कि नामचीन या पहुंच वाले आदतन और कुख्यात अपराधी इलाज के बहाने अपनी सजा का ज्यादातर समय जेल से बाहर अस्पताल के कटिज वार्डों में ही बिताते हैं। सूत्रों के अनुसार राजस्थान की जेलों में हर समय औसतन 13 हजार बंदी रहते हैं। इनमें से हर साल औसतन 40 कैदियों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से राजधानी की जेल में 15 से 20 कैदियों की मृत्यु होती है। आमतौर पर कैदियों की मृत्यु का कारण अस्थमा, हार्ट और पेट संबंधी बीमारियों ही होती हैं। जयपुर में बीमारियों से मरने वाले कैदियों की संख्या ज्यादा होने के पीछे एक कारण यह भी है कि प्रदेश के सभी जिलों से गंभीर बीमारी वाले रोगियों को इलाज के लिए जयपुर ही भेजा जाता है।

सूत्रों के अनुसार जेल नियमों में यह प्रावधान है कि जेल में किसी भी बंदी का प्रवेश से पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण में अगर कोई बीमारी पायी जाती है तो उसे अच्छे इलाज की सुविधा दी जाएगी और इलाज का पूरा विवरण रखा जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर जेलों में इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं क्योंकि अदालतों से सजा वाले मामलों में कैदियों के वारंट ही कई बार शाम को देर से मिलते हैं और सूरज ढलने के बाद कैदियों को जेल में प्रवेश देने की व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति में जल्दबाजी इतनी करनी पड़ती है कि कई बार बिना स्वास्थ्य परीक्षण के ही कैदी को अंदर करना पड़ता है।

> प्रदेश की बड़ी जेलों में चूंकि डिस्पेंसरियों की व्यवस्था है, इसलिए बंदियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही प्रवेश कराया जाता है और उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा भी दिलाई जाती है। जहां तक छोटी जेलों में स्वास्थ्य परीक्षण की बात है तो वहां बाहर से डॉक्टर बुलाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ता है। अगर किसी कारणवश समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो तो बंदी से ही उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर प्रवेश करवा दिया जाता है। - जे.के. शर्मा, महानिरीक्षक-कारागार

हिरासत में मौत के मामलों में आयोग ने जानकारी मांगी

राज्य मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मौत के एक मामले में जहां बंदी को मरने से पहले उपलब्ध कराए गए उपचार के बारे में जानकारी मांगी है, वहीं एक अन्य बंदी की मौत के मामले में उसकी गिरफ्तारी के समय स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट तलब की है। आयोग के समक्ष विचाराधीन एक मामला इस साल सितम्बर में बांदीकुई कारावास में मरने वाले जौहरी लाल बैरवा से सम्बन्धित है, जबकि 2001 में कोटा जेल में मरने वाले नईम से सम्बन्धित है।

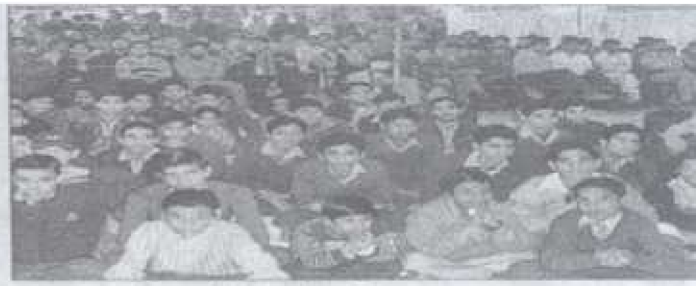

अलवर। आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित अतिथि एवं विद्यार्थी।

मनमोहक प्रस्तुतियों के बीच तीन दिवसीय समारोह शुरू

आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान का वार्षिकोत्सव

अलवर, 27 जनवरी •नसं। नन्हें-मुन्ने बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों, राजस्थानी लोकनृत्य, विभिन्न विषयों पर संदेश देती नाटिकाओं और कविता पाठ के बीच शुक्रवार को आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान का तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह शुरू हुआ।

समारोह स्वर संगम की शुरुआत मुख्य अतिथि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नगेन्द्र जैन ने दीप प्रज्वलित करके की। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद छात्राओं ने 'मां आज तुम्हारा वंदन है...' सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा 'धन्य भाग्य हैं आज हमारे...' स्वागत गान प्रस्तुत किया। छात्रों ने गुरु व शिष्य के संबंधों को लेकर शिक्षाप्रद स्वागत नाटिका प्रस्तुत की। इसके बाद नंबर आया आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के नन्हें-मुन्ने छात्रों का। प्ले ग्रुप से लेकर एलकेजी के बालकों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर हर दर्शक को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्ले ग्रुप के बच्चों ने 'चुन-चुन करती आई चिड़िया...', 'सावन आए रे, धक धूम..' पर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कक्षा चार व पांच की छात्राओं ने 'म्हारो सासू री म्हारी सास....' राजस्थानी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई की वेशभूषा पहने छात्रा ने सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए अतिथियों का फूल देकर स्वागत किया। नितेश, दीपक व गौरव ने राजस्थानी गीत 'रंगीलो म्हारो ढोलना......', मधु गोयल ने 'चम-चम चमके चुनरी गीत' पर बनजारा नृत्य, अभिषेक पारीक ने 'बोल जमीरा बा' आदि गीतों पर नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों को राजस्थान के रंग में रंग दिया। 'धरती धोरां री...' पर हिंदी नाटिका, अंजू मीणा एंड पार्टी ने दहेज प्रथा पर आधारित नाटिका, नितेश एंड पार्टी ने दूल्हा मंडी, नगेंद्र एंड पार्टी ने बाल विवाह, मधु एंड पार्टी ने पक्का भाव नाटिका प्रस्तुत की। इन कार्यक्रमों के मध्य में हितेश शर्मा ने 'मेरा देश महान' व प्रदीप कुमार ने 'डाक विभाग की ऐसी तैसी' पर काव्य पाठ किया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का समापन 'चलते, चलते मेरे गीत तुम याद रखना.....' गीत पर हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के सम्मान में सम्मान पत्र पढ़ा गया। आदिनाथ शिक्षण संस्थान के सचिव सुमेरचंद जैन ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में नए सेक्शन चालू, कंप्यूटर लैब शुरू करने तथा निपटाए हुए न्यायालय प्रकरणों के बारे में जानकारी दी। समारोह में समाज सेवी व जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष बच्चू सिंह जैन, दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष ऋषभ जैन, विशिष्ट अतिथि मधुरेश्वर पारीक सहित जैन समाज के कई वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित थे। शनिवार को शाम पांच बजे जैन सीनियर सैकेंडरी स्कूल व मिडिल स्कूल का वार्षिकोत्सव स्वर लहरी कार्यक्रम होगा।

समारोह में वार्षिक परीक्षा 2004-05 में उच्च अंक प्राप्त करने वाले ताराचंद शर्मा को प्रथम, भावना जैन को द्वितीय व नितु शर्मा को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्र 2004-05 में उच्च उपस्थिति के लिए प्रतिभा यादव को प्रथम, संदीप कुमार व निशा कुमावत को द्वितीय पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया।

अलवर। दीप प्रज्वलित करते अतिथि।

बलात्कार पीड़िता को सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश

मानवाधिकार आयोग के दखल से मिली सहायता

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 8 सितम्बर। राज्य मानवाधिकार आयोग के दखल के बाद बारां जिला प्रशासन ने एक बलात्कार पीड़िता को पचास हजार रुपए देने का निर्णय किया है। आयोग ने पीड़िता को सहायता सुनिश्चित करने को कहा है।

बारां जिले के भौरा गांव की एक युवती से जून में पेड़ से बांध कर दो जनों ने बलात्कार किया था। आयोग ने इस पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर पुलिस से जानकारी मांगी थी, जिस पर पुलिस ने युवती से जबरन बलात्कार की पुष्टि की। इस पर आयोग ने बलात्कार पीड़िता को हरसंभव सहायता मुहैया कराने को कहा। अंतिम सुनवाई के समय स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने आयोग को बताया कि जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़िता को 50 हजार रुपए देने का निर्णय किया है। आयोग के अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.के. जैन ने आयोग में लम्बित मामला निस्तारित करते हुए प्रशासन की ओर से स्वीकृत सहायता पीड़िता को दिलाना सुनिश्चित करने को कहा है।

जिलों और तहसीलों में अलख जगाएगा मानवाधिकार आयोग

शिकायतों के निपटारे में आई तेजी, चार माह में 1200 मामले निपटाए

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 20 नवंबर।

प्रदेश में पिछड़े, दलितों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा का अलख जगाने के लिए मानवाधिकार आयोग जिला और तहसील स्तर तक जाएगा।

लोगों को अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए आयोग स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी विभागों के सहयोग से जनजागरण अभियान चलाएगा। इसकी शुरुआत 25 नवंबर को अलवर जिले से होगी। जिलों के बाद तहसील स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

चेन्नई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.के. जैन के आयोग का अध्यक्ष पद संभालने के बाद कामकाज में भी तेजी आई है। शिकायतों का अंबार कुछ कम हुआ है। पिछले चार माह में आयोग ने 1200 शिकायतों का निपटारा किया है। इनमें से 40 मामलों में तो पानी, बिजली, मिलीबसों और अवैध वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं, जेल, समाज कल्याण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खान श्रमिक, आवारा पशुओं की समस्या, सफाई, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयों से जुड़े विभागों को दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें से कुछ विभागों ने तो आयोग को दिशा-निर्देशों के पालन की रिपोर्ट भी भिजवा दी है। आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने 'महका भारत' को बताया कि उनकी प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि सभी विभाग अपने स्तर पर इतने सतर्क हो जाएं कि आम आदमी को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े।

आयोग के दो सदस्य पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मसिंह मीणा और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जगतसिंह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उद्देश्य को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस और जेल महकमों में आए दिन होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के सवाल पर जैन ने कहा कि जेलों में बंदियों की बीमारी से आए दिन होने वाली मौतों को लेकर आयोग ने जेल प्रशासन से जानकारी मांगी है। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि कैदियों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पुलिस में भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समय-समय पर कार्यवाई की गई है। मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए आयोग की ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाती है।

जयपुर में आयोग की ओर से ऐसे दो कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

इनमें जेल, पुलिस, परिवहन, विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रशासनिक, पानी, बिजली, नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने अपने-अपने स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने का संकल्प लिया है। इनमें से एक कार्यक्रम में तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य मौजूद रहे हैं।

मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरुरी–जस्टिस जैन

[illegible]

मानवाधिकारों के संबंध में हुई कार्यशाला

[illegible]

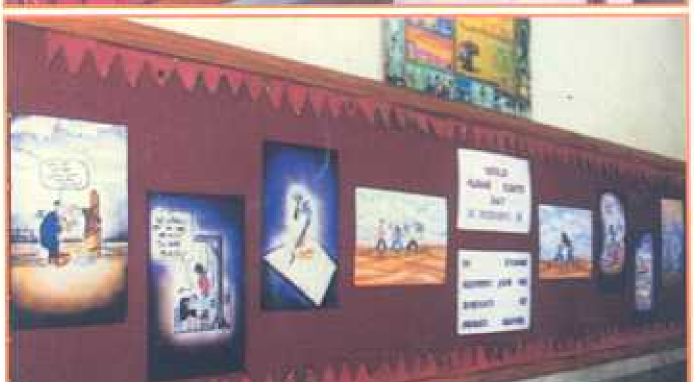

मानवाधिकार दिवस पर महावीर स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न पहलुओं को चित्रकला के माध्यम से एवं पोस्टरों द्वारा प्रोजेक्ट किया।

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, सदस्यगण- जस्टिस जगत सिंह एवं श्री डी.एस. मीणा, श्री पुखराज सिरवी, सचिव- श्री गिरीराज सिंह, महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : सहायक रजिस्ट्रार, राज. मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in Website : www.rshrc.nic.in Fax : 0141-2227738 Tel. : 2227565, 5104212.

Book Post